राजस्व वाद संख्या 120/2024
जितेन्द्र बनाम शंकर वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 120/2024
सी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/370

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.जितेन्द्र पुत्र शंकर 2.गीता पुत्री शंकर 3.सीमा पुत्री शंकर 4.छगनोदेवी पत्नि शंकर जाति प्रजापत निवासी—विरधाणियो की ढाणी (कांकराला) तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.शंकर पुत्र जेठाराम जाति प्रजापत निवासी—विरधाणियो की ढाणी (कांकराला) तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 2.अशोक कुमार पुत्र किशनलाल जाति नाई निवासी नेहरू कोलानी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता वादीगण
2. श्री जालमसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री कृष्णपालसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 अनुपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 03 अनुपस्थित

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा)

:—निर्णय:—

दिनांक 07/08/25

1.संक्षिप्त मे वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम विरधाणियो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 65 क्षेत्रफल 12.6828 हैक्टयर व खसरा संख्या 77 क्षेत्रफल 2.0558 हैक्टयर भूमि वक्त सेटलमेंट जेठा वल्द खंगार कौम प्रजापत के नाम दर्ज हुई थी। जेठा के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज हुई। जिसमे शंकर वादी संख्या 1 से 3 के पिता व वादीनी संख्या 4 के पति है। वर्तमान मे वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी मे अवस्थित है। पुश्तैनी भूमि होने के कारण वादीगण के वादग्रस्त भूमि मे हक हकूक निहित होने के उपरांत भी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त खसरा संख्या 77 का सम्पूर्ण बेचान प्रतिवादी संख्या 02 को कर दिया गया,जो हिस्से से अधिक बेचान होने के कारण वादीगण के हक हिस्से तक शून्य एवं अप्रभावी की श्रेणी मे आता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर माफिक वादपत्र अनुतोष वाद डिक्री करवाने हेतु वाद पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2.वादीगण का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया। प्रतिवादी के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ। अधिवक्ता श्री जालमसिंह राठौड़ द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। अधिवक्ता श्री कृष्णपालसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। तत्पश्चात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया,जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

3.हितबद्व पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने के कारण तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रही। वादी साक्ष्य मे पी.डब्ल्यू–1 जितेन्द्र द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श–1 से 4 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी व नक्शा प्रति प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी पक्ष साक्ष्य नही करवाने के कारण प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

4.उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम विरधाणियो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 65 क्षेत्रफल 12.6828 हैक्टयर व खसरा संख्या 77 क्षेत्रफल 2.0558 हैक्टयर भूमि वक्त सेटलमेंट जेठा वल्द खंगार कौम प्रजापत के नाम दर्ज हुई थी। जेठा के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज हुई। जिसमे शंकर वादी संख्या 1 से 3 के पिता व वादीनी संख्या 4 के पति है। वर्तमान मे वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी मे अवस्थित है। पुश्तैनी भूमि होने के कारण वादीगण के वादग्रस्त भूमि मे हक हकूक निहित होने के उपरांत भी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त खसरा संख्या 77 का सम्पूर्ण बेचान प्रतिवादी संख्या 02 को कर दिया गया,जो हिस्से से अधिक बेचान होने के कारण वादीगण के हक हिस्से तक शून्य एवं अप्रभावी की श्रेणी मे आता है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य राजीनामा होने के कारण राजीनामा पेश किया गया,जो बाद तस्दीक करवाया गया। अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही है। अतं राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

5.प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। अंत राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किए जाने पर आपर्ति नही है।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूल ग्राम खारवा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 38,65 व 77 जेठा वल्द खंगार कौम कुम्हार सा.

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

देह खातेदार जमाबंदी संवत 2031–2034 तक मे दर्ज है। जमाबंदी संवत 2034–2037 में खसरा संख्या 38,77,65 मे जेठा के वारिसान के नाम जरिए नामान्तकरण खातेदारी प्राप्त हुए,जो कि पत्रावली के संलग्न प्रमाणित जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है,जिसमे वादीगण का हक हकूक बनता है। वादी संख्या 1 से 3 पुत्र व वादीनी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 01 की पत्नि है। चूंकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया गया,जो दिनांक 08.4.2025 को बाद तस्दीक पत्रावली मे शामिल किया गया। राजीनामा के अनुसार खसरा संख्या 77 मे वादीगण के वाद पेश करने के हक सुरक्षित रखते हुए वाद मे हक नही चाहा गया तथा खसरा संख्या 65 मे वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 की संयूक्त खातेदारी मे घोषित करवाने एवं वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रत्येक थोक का 1/4,1/4 हिस्सा घोषित करवाने हेतु राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा द्वारा उभय पक्षकारान दावा डिक्री करवाने पर रजामंद है। न्यायालय हाजा को भी राजीनामा के अनुरूप वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है,क्योकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण वादीगण का हक हकूक बनता है। ऐसी सूरत मे वादीगण का वाद माफिक राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादीगण अपना वाद पत्र स्वीकार करवाने मे सफल रहे है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—:निर्णयः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम विरधाणियो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 65 क्षेत्रफल 12.6828 हैक्टयर भूमि मे वादी संख्या 1 से 3 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 07/08/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

07/08/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 126 / 2024
जितेन्द्र बनाम शंकर वगैरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 126 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 376

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादी**

वादीगण

1.जितेन्द्र पुत्र शंकर
2.गीता पुत्री शंकर
3.सीमा पुत्री शंकर
4.छगनोदेवी पत्नि शंकर
जाति प्रजापत निवासी–विरधाणियो की ढाणी (कांकराला) तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

प्रतिवादी

1.शंकर पुत्र जेठाराम जाति प्रजापत निवासी–विरधाणियो की ढाणी (कांकराला) तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा
2.अशोक कुमार पुत्र किशनलाल जाति नाई निवासी नेहरू कोलानी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद बाबत:–88,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–07.8.2025

वादीगण की ओर से श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री जालमसिंह राठौड़ अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री कृष्णपालसिंह अधिवक्ता की अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 07.8.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादीगण का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम विरधाणियो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 65 क्षेत्रफल 12.6828 हैक्टयर भूमि मे वादी संख्या 1 से 3 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे।

यह आज तारीख 07.8.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

07/08/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 126 / 2024
जितेन्द्र बनाम शंकर वगैरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4...........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस	—	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	—	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा